अधिसूचना दिनांक 03 अगस्त, 2018

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिटट्न मार्केट, भोपाल– 462016

दिनांक : 20 जुलाई, 2018

क्रमांक 1052/म.प्र.वि.नि.आ./2018 – विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप–धारा (1) तथा धारा 181 की उप–धारा (2) के खण्ड (वी) तथा (डब्लू) सह पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन [ए आर जी–17(I)(एक), वर्ष 2018]

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

1.1 इस विनियम का संक्षिप्त नाम ''**मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009'' [एआरजी–17(I)(i), वर्ष 2018]** है ।

1.2 इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. <u>विनियमों में संशोधन :</u>

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 के विनियम 1.17, 1.22 तथा 1.25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किए जाए, अर्थात् :–

''1.17 उपभोक्ताओं से अपेक्षित ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप (ईएसडी) की वार्षिक समीक्षा पूर्व वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च में की गई खपत के आधार पर प्रतिवर्ष माह जून तक की जाएगी। पूर्व वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल के पश्चात् संयोजन की दशा में, संयोजन की तारीख से मार्च तक की खपत की गणना की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी, उक्त पुनर्विलोकन के आधार पर उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप (ए एस डी) के भुगतान हेतु, जुलाई से तीन समान किश्तों में देय मांग में वृद्धि कर सकेगा, यदि विनियम 1.7 (च) में विनिर्दिष्ट टैरिफ प्रभारों पर आधारित प्रतिभूति निक्षेप की रकम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित प्रतिभूति निधि की रकम से 100/– रूपये या इससे अधिक हो तो अपने विवेक पर, उपभोक्ता एक किश्त में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम का भुगतान कर सकता है ।

इसी प्रकार, जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप रकम आवश्यक राशि से 100/– रूपये या इससे अधिक पाई जाने की दशा में, उपभोक्ता को जुलाई तथा उसके बाद के विद्युत देयकों में तीन समान किश्तों में अधिक पाई जाने वाली रकम का आकलन (क्रेडिट) कर सकेगा । विलंब की कालावधि के लिए आवश्यक आकलन (क्रेडिट) न किए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा ।

1.22 उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप नगद रकम पर, अनुज्ञप्तिधारी संयोजन की तारीख से बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर पर) ब्याज देगा । भारतीय रिजर्व बैंक से प्रचलित बैंक दर की जानकारी प्राप्त करने तथा बिलिंग मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा ।

1.25 प्रतिभूति निक्षेप की रकम संविदा मांग में कमी अथवा अनुबंध की समाप्ति अथवा नवीन विद्युत संयोजन के आवेदन को निरस्त करने पर, समस्त शोध्यों समायोजन के पश्चात्, औपचारिकताओं की पूर्ति के 60 दिवस की कालावधि के भीतर, उपभोक्ता को वापस की जाएगी। 60 दिवस की कालावधि अधिक विलंब होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 60 दिवस की कालावधि के परे हुए विलम्ब के लिए उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से 1 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज देय होगा । अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूति निक्षेप की प्रत्यर्पण अवधि विलंब की अवधि को मिलाकर कुल मिलाकर 120 दिवस से अधिक न हो, जिसमें असफल रहने पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।''

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव